(353/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036 /28/76/एक/2018–19 दिनांक :04 जनवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**कानपुर नगर।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	**233.320**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 08 मसवानपुर में रेवती देवी स्कूल (मनोज कटियार) के मकान से संजय कुमार के मकान तक, बसन्त ज्वैलर्स के मकान से गोलू शर्मा के मकान तक, डा0 खान के मकान से राघवेन्द्र सिंह के मकान तक, रणजीत सिंह के मकान से बेटालाल दिवाकर के मकान तक, मसवानपुर रोड से ननकू के मकान तक, विरेन्द्र मिश्रा के मकान से सुरेन्द्र कुशवाहा के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	20.966
2	कानपुर नगर	मु0अ0–37	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 47 मो0 रामपुरम श्याम नगर में सेंगर चौराहा हनुमान मन्दिर से के0के0 मिश्रा होते हुए अनिरूद्ध के मकान तक, एम0एल0 संखवार से मनोज जैसवाल के मकान तक, मनोज जायसवाल के मकान से बद्री के मकान तक राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल से मनोज मदेशिया के मकान तक, एल0बी0 सिंह के मकान से जानकी प्रसाद के मकान तक दुर्गेश के मकान से अली मोहम्मद के मकान तक अनूपूर्ण के मकान से शिव नायक गौतम के मकान तक त्रिभुवन के मकान से आर0एस0 सिंह के मकान तक, हरीओम के मकान से राम प्रसाद के मकान तक, राम प्रसाद के मकान से शशी सक्सेना के मकान तक, राकेश गौड के मकान से आर0एम0ए0 पब्लिक स्कूल तक एस0के0 शुक्ला के मकान से अनन्त बहादुर के मकान तक, भोला के मकान से गणेश पाण्डे के मकान तक , देव नारायण के मकान से बाबू लाल मौर्य	131.160

(353/2)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				के मकान तक, नेत्रपाल सिंह के मकान से राधेरमन के मकान तक राधेरमन के मकान से हेमन्तम के मकान तक, लालजी पाल के मकान से आर0एस0 त्रिपाठी के मकान तक बुद्वि लाल के मकान से विनोद आर्या के मकान तक भारत के मकान से किरन शुक्ला के मकान तक, अनूप किराना भण्डार से वी0एन0पारीत के मकान तक , वी0के0 मिश्रा के मकान से गिरीश चन्द्र के मकान तक वी0के0 मिश्रा के मकान से गिरीश चन्द्र के मकान तक रमेश सिंह के मकान से लिटिल फलावर तक, जसवन्त सिंह की गली में पी0एन0 सिंह के मकान से रजत के मकान तक, अनूप सिंह के मकान से जी0जी0एम0 स्कूल तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
3	कानपुर नगर	म0ब0–83	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 39 ढकनापुरवा बस्ती में रेलवे लाइन निर्मला यादव के मकान से नूरी के मकान तक एवं पास की गलियों में तथा 133/316 नव ज्योति शिक्षा सदन से 133/371 अनोखेलाल सविता के मकान होते हुए 133/337 सायरा बानों के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य	24.654
4	कानपुर नगर	म0ब0–83	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 39 जाटन पुरवा में इच्छा पूर्ती हनुमान मन्दिर से राजेश त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य, 133/504 राम किशन गुप्ता के मकान से 105/141 पप्पू यादव के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य, शानू कमानी मिस्त्री से कानपुर कोरियर तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	12.643
5	कानपुर नगर	म0ब0–83	न0नि0 कानपुर	वार्ड नं0 36 मुशीपुरवा में 132/687 कुन्दन लाल शाहू के मकान से 132/614 रासिद अहमद चप्पल वाले के मकान तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य, 132/675 वंशीलाल शाहू के मकान से काली जी मन्दिर तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नली निर्माण कार्य।	17.474
6	कानपुर नगर	म0ब0–83	न0नि0 कानपुर	वार्ड न0 88 बाबा नगर बस्ती में नीलू यादव के मकान से सर्वेश सविता के मकान तक, विनय मिश्रा के मकान से कामता सिंह के मकान तक, सन्तोष अवस्थी के मकान से सन्तोष बाजपेई के मकान तक, के0एल0तिवारी के मकान से राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के मकान तक, राजबहादुर जैसवाल के मकान से अली हुसैन के मकान तक, पिपलेश्वर महादेव मन्दिर के मकान से महेश शुक्ला के मकान तक, हमीरपुर रोड से जितेन्द्र जनरल स्टोर के मकान तक इण्टरलॉकिंग एव नाली निर्माण कार्य।	26.423
	योग				233.320

352/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

353/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक